पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

//सूचना//

आरक्षक (जीडी) एवं (रेडियो) भर्ती वर्ष 2023 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में रहे समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.09.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक़्त हुये पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित को दृष्टिगत रखते हुये की गई है:-

i. जिन उम्मीदवारों का चयन मुख्य सूची में हुआ था और उनके व्दारा विभाग में ज्वाइन नहीं किये जाने से, उनका चयन निरस्त किया गया है, यदि उनके नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल है तो उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है।

ii. ऐसे उम्मीदवार जो चयनित है और उनके नाम प्रतीक्षा सूची में भी शामिल है, यदि प्राप्तांक के आधार पर प्रतीक्षा सूची में इनका संवर्ग (DEF, SAF, RADIO) परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इनके नाम पर विचार नहीं किया गया है।

iii. ऐसे उम्मीदवार जो चयनित है और उनके नाम प्रतीक्षा सूची में भी शामिल है, यदि प्रतीक्षा सूची में प्राप्तांक के आधार पर इनका संवर्ग (DEF, SAF, RADIO) बदल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची से चयनित किये जाने हेतु विचार किया गया है।

iv. पद संवर्गवार रिक्त पदों की उपलब्धता एवं प्रतीक्षा सूची में उस वर्ग/संवर्ग में उपलब्ध उम्मीदवार के आधार पर, प्रतीक्षा सूची से चयन सूची जारी की गई है।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर कुल 357 उम्मीदवारों को चयनित किया जाकर, पदस्थापना हेतु इकाई आवंटित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों के लिये आवश्यक निर्देश भी जारी किये जा गये है। चयनित उम्मीदवार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

MPPR

उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश

1. चयनित उम्मीदवारों को पदस्थापना हेतु उन्हें अपनी आवंटित की गई इकाई/जिला में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(रेडियो) भोपाल/पुलिस अधीक्षक/सेनानी कार्यालय** के समक्ष 15 दिवस के भीतर, जारी प्रतीक्षा सूची के प्रिन्ट आउट एवं अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. इकाई आवंटन सूची के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन फार्म का प्रिन्टआउट निकाल कर फार्म के समस्त कॉलमों की पूर्तिकर (विशेषकर कॉलम क्र. 12) अपने साथ आवंटित इकाई/जिला लेकर जाए, ताकि चरित्र सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सके।
3. किसी भी उम्मीदवार को सीना(पुरूष वर्ग केवल) अथवा उँचाई में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
4. उम्मीदवार संबंधित जिले में 05 दिवस ठहरने की व्यवस्था के साथ उपस्थित हों।
5. चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में योग्य पाये जाने पर संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी व्दारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। नियुक्ति आदेश में आमद (Joining) अवधि का उल्लेख होगा, इस अवधि के भीतर उम्मीदवार व्दारा आमद (Join) न देने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा एवं उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. किसी भी प्रकार की मेडिकल से संबंधित समस्या होने पर आवंटित इकाई प्रमुख को आवश्यक रूप से अवगत कराये।
7. उम्मीदवार व्दारा व्दितीय चरण के दौरान समिति को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की मूलप्रति एवं उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से अपने साथ लाए। सुलभ संदर्भ के लिए दस्तावेजों की सूची दी गई है आपसे संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लेकर आयें-
   i. 02 फोटो
   ii. आधार कार्ड
   iii. जन्मतिथि प्रमाण पत्र
   iv. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
   v. जाति प्रमाण पत्र
   vi. मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन
   vii. NCC "C" प्रमाण पत्र

viii. स्वयं सेवी नगर सैनिक(होमगार्ड) को आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र

ix. भूतपूर्व सैनिकों के लिए म.प्र. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड म.प्र. का प्रमाण पत्र

x. पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को सेवा से त्याग-पत्र या नियोक्ता का स्वीकृति आदेश।

xi. अंर्तजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र

xii. विक्रम पुरूस्कार संबंधी प्रमाण पत्र

xiii. विवाहित अभ्यर्थी को उनके बच्चों का जन्म का प्रमाण पत्र

xiv. मूल निवासी का प्रमाण पत्र

xv. अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार व्दारा जारी ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण पत्र

MPPLR

यहां पर पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकायें

परिशिष्ट - एक

(देखिये पैरा–3(क))

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी :-

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अर्नहता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा।

2 यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विसर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है तो ब्योरे, यथा स्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किया जाना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि यह उन मामलों के पूरे ब्योरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, यदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (खात्मा) वापस ले लिये गए हो, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।

यदि तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

---

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम यदि काई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में (कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया इसका उल्लेख कीजिए)

   कुलनाम (सरनेम)...

   नाम...

---

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात ग्राम थाना तथा जिला या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

---

3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात ग्राम थाना तथा जिला या घर कमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो) (क)

---

3. (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारिख (ख)

---

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले पांच वर्षो के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरेदिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हो।

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला, अर्थात घर कमांक गली, (मार्ग) सड़क तथा नगर	पूर्ववर्ती खने में उल्लिखित स्थन के जिला मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
(1)	(2)	(3)	(4)

5. (क) पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो ....(क)

(ख) वर्तमान डाक–पता यदि स्वर्गवासी हों तो ....(ख)

पिछला पता दीजिए ....

(ग) घर का स्थायी पता ....(ग)

(घ) व्यवसाय ....(घ)

(ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए। ....(ङ)

....

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

(क) पिता ....(क)

(ख) माता ....(ख)

(ग) पति / पत्नी ....(ग)

(घ) उम्मीदवार ....(घ)

(दो) पति / पत्नी का जन्म स्थान ....(दो)

7. (क) जन्म तारिख ....(क)

(ख) वर्तमान आयु ....(ख)

(ग) हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु ....(ग)

---

8. (क) जन्म स्थान जिला तथा राज्य ....(क)

जिसमें वह स्थित हो। ....

(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं ....(ख)

---

9. (क) आपका धर्म ....(क)

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति ....(ख)

अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ?

हां या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में

हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए

---

10. शैक्षणिक अर्हताएं :-
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए
जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों
में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो।

शाला / महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला / महा– विद्यालय छोड़ने की तारिख	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :–

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से.......................तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
1	2	3	4

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गये है ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया ह"? क्या आप कभी निरूद्ध किए गए है या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिये अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है ?

(ख) इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ?

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्योरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएगें :–

(एक) अपराध / आरोप

(दो) पुलिस थाने में पंजीबद्ध

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम

(चार) मामले का कमांक न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया

(पांच) दिया गया दण्ड

(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?

(सात) दोषमुक्त संदेह के लाभ पर आधारित थी मामला वापस ले लिया गया था।

(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरूद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य है, या उससे सहयोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टयां दें जैसे संगम संगठन का नाम सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कालावधि / अवधि / इत्यादि। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। न्यायालय से तथ्यो के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।

टिप्पणी :– अभ्यार्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी नोट करें।

....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.............................स्थान...........................

---

13 आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निदेशियों के नाम जो आपको जानते हो।

(1) ....

(2) ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.............................स्थान...........................

....

मै प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां–तक मुझे पता है और जहां–तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है, में ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं, जिनके कारण शाला के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण हो तो मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.............................स्थान.............................

....

पहचान प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिये :-

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी,
(दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य
(तीन) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी,
(चार) तहसीलदार या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो,
(पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शेक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख
(छः) खण्ड विकास अधिकारी,
(सात) पोस्ट मास्टर
(आठ) पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि मैं /श्री/श्रीमती/कुमारी...

पिता/पति का नाम श्री...को पिछले.............................. वर्ष..................

....माह से जानता हूं तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान...

तारीख...

हस्ताक्षर...

पदनाम या

स्थिति तथा

पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम पदनाम और पूरा पता ....

....

(दो) वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है ....